

कानून (Law)

कानून अंग्रेजी भाषा के लॉ शब्द का हिंदी रूपांतर है। लॉ शब्द की उत्पत्ति ट्यूटॉनिक लैंग (Lag) संज्ञा है जिसका अर्थ होता है ऐसी वस्तु जो सदा स्थिर, स्थायी और निश्चित या सभी परिस्थितियों में समान रूप में रहे। कानून अर्थ है 'वह जो स्वरूप बना रहे।' आक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार 'सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार के नियम'

परिभाषाएं :-

कुडरो विल्यम के अनुसार 'कानून स्थिति विचार तथा स्वभाव का वह अंश है जिसे शासक की शक्ति लागू करती है।'

आस्टिन 'कानून संप्रभु की आज्ञा है।'

ग्रीन के अनुसार 'अधिकारों और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जा सकता है जिसे सरकार लागू कर सकती है।'

धब कोर वस्तु या व्यक्ति निश्चित परिस्थितियों में निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं तो उनके इस गुण को नियम या कानून कहा जाता है।

कानून के तत्व :-

1. कानून के लिए नागरिक समाज या अस्तित्व आवश्यक है।
2. कानून के निर्माण तथा उनकी क्रियान्विति के लिए एक संप्रभुत्वपूर्ण सत्ता या अस्तित्व आवश्यक है।

- 3. कानूनों का संबंध व्यक्ति के बाहरी आचरण से होता है।
- 4. कानून का पालन नहीं करने पर नागरिक दंड से भागी होते हैं।
- 5. कानून सामाजिक हित के लिए होते चाहिए।

कानून, वर्णनात्मक और निर्देशात्मक नियम होते हैं।

वर्णनात्मक किसी वस्तुस्थिति या चिन्ही घटनाक्रम के परस्पर संबंध का संकेत देते हैं। जैसे :- गुकला-कृषण का नियम।

निर्देशात्मक नियम के अंतर्गत यह निर्देश दिया जाता है कि किस परिस्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये नियम संगत के सदस्यों पर लागू होता है बड़े उचित या अनुचित की कसौटी पर परखा जाता है। राज्य अपने सदस्यों के लिए जो निर्देशात्मक नियम बनाता है उसे विधि या कानून (Law) कहते हैं।

जै. डब्ल्यू सामंड - कानून उन सिद्धांतों का समुच्चय जिन्हें राज्य मान्यता देता है और व्यापक प्रवर्तन के दौरान लागू करता है।

कानून मान्यता के अनेक कारण होते हैं।

- 1. ये नियम हर किसी पर समान रूप से लागू होते हैं और इनका पालन सर्वत्र किया जाता है।
- 2. पालन न करनेवाले को दंड दिया जाता है।
- 3. इनकी ठीकरणा और प्रयोग के लिए निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
- 4. ये नियम किसी उचित साधन की सिद्धि करते हैं।

next ->